रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-71 REGISTERED No. D. (D.N.)-71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 43] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1983/माघ 12, 1904
No. 43] NEW DELHI TUESDAY, FEBRUARY 1, 1983/MAGHA 12, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

सं. 13/83-सीमा-शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1983

का. आ. 58(अ) —केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित को —

(1) पश्चिम बंगाल राज्य में जिला पुरुलिया में बान्दा और बलराम पर ; तथा

(2) बिहार राज्य में जिला रांची में मुर्हु भाण्डागारण केन्द्रों के रूप में घोषित करता है ।

[फा. सं. 473/187/82-सी. शु.-7]
एन. के. कपूर, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1983

NO. 19/83-CUSTOMS

S.O. 58(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares—

(i) Jhalda and Balrampur in Purulia District in the State of West Bengal ; and

(ii) Murhu in Ranchi District in the State of Bihar.

to be warehousing stations.

N. K. KAPUR, Under Secy.
[F. No. 473/187/82-Cus-VII]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983